महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय,अजमेर

प्रबन्ध बोर्ड की 66वीं बैठक

कार्यवृत्त(Minutes)

दिनांकः 04.07.2009 **समयः प्रातः 11.30 बजे**

प्रबन्ध बोर्ड की 66वीं बैठक दिनांक 04.07.2009 प्रातः 11.30 बजे बृहस्पति भवन स्थित प्रबन्ध बोर्ड बैठक कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुएः–

01.	प्रोफेसर भगीरथ सिंह, कुलपति	अध्यक्ष
02.	श्री एम.एल. पीतलिया, भीलवाड़ा (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष)	सदस्य
03.	प्रो. के.सी. शर्मा, अजमेर (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित आचार्य)	सदस्य
04.	प्रोफेसर बी.पी. सारस्वत, अजमेर (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित आचार्य)	सदस्य
05.	प्रोफेसर रमाकांत, जयपुर (कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्)	सदस्य
06.	प्रोफेसर पी.एस. वर्मा, जयपुर (राजस्थान सरकार द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्)	सदस्य
07.	श्री रघुनन्दन शर्मा (डॉ. रघु शर्मा) विधायक, केकड़ी (विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित)	सदस्य
08.	श्री नरेन्द्र माथुर, अजमेर (शासन सचिव, वित्त विभाग के प्रतिनिधि)	सदस्य
09.	श्री बी.एल. सुनारिया कुलसचिव	सदस्य सचिव

<u>अनुपस्थित सदस्य</u>

01.	श्री कमल बैरवा, विधायक निवाई (टौंक) (विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित)	सदस्य
02.	शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर	सदस्य
03.	शासन सचिव, योजना विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर	सदस्य
04.	आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान, जयपुर	सदस्य

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया तथा नये सदस्यों का परिचय कराया । माननीय कुलपति महोदय ने प्रबन्ध बोर्ड के नये सदस्यों से प्रबन्ध बोर्ड की कार्यवाही सम्पादित करने में सहयोग की अपेक्षा की । प्रबन्ध बोर्ड ने निर्णय किया कि :

(क) प्रबन्ध बोर्ड के सदस्य ही बैठक में उपस्थित रहेंगे, आवश्यकता होने पर सम्बन्धित अधिकारियों को बुलाकर जानकारी प्राप्त की जावे ।

(ख) प्रबन्ध बोर्ड की बैठक में सदस्यों को सिटिंग चार्जेज की राशि रू0 200/– से बढ़ाकर रू. 500/– कर दी जाए ।

मद संख्या	विवरण	संबंधित अनुभाग
मद सं. 1	प्रबन्ध बोर्ड की 64वीं बैठक दिनांक 13.10.2008 कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि करना । उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति सभी माननीय सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र क्र. एफ.13 (64) शैक्ष.1/ मदसविवि / 2008/47683–89 दिनांक 14.10.2008 एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक. 49442–45 दिनाक 5.11.2008 द्वारा प्रेषित की गई । कार्यालय स्तर पर अनुपालना कार्यवाही करते समय इस कार्यवृत्त के लेखन में जो कमियॉ तथ्यात्मक त्रुटि या अन्य प्रकार की कोई त्रृटि ध्यान में आई है, पर **कार्यसूची के परिशिष्ठ–I** के अनुसार सही रूप में अभिलेखित किए जाने हेतु प्रस्तुत है ।	**शैक्षणिक–1**
निर्णय	**प्रबन्ध बोर्ड की 64वीं बैठक दिनांक 13.10.2008 के कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि कार्यसूची के उक्त परिशिष्ठ– I के अनुसार सही रूप से अभिलेखन को समाहित करते हुए की गई।**	
मद सं. 2	दिनांक 13.10.2008 को संपन्न 64वीं बैठक के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट **(कार्यसूची का परिशिष्ठ– II)** (Action Taken Report) का अनुमोदन करना ।	**शैक्षणिक–1**
निर्णय	**दिनांक 13.10.08 को सम्पन्न 64वीं बैठक के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गयी कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदन किया ।**	
मद सं. 3	माननीय कुलपति महोदय के निम्नांकित प्रतिवेदित आदेशों का अभिलेखन एवं पुष्टि करनाः **(1)** <u>प्रतिवेदन है कि</u>, प्रबन्ध बोर्ड की निर्णय संख्या 35 दिनांक 13.10.2008 की अनुपालना में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.6 ( )विवले–1/ मदसविवि/2007/47862–96 दिनांक 17.10.2008 के क्रम में निदेशक, हार्ट एण्ड जनरल हॉस्पिटल (पूर्व में टोंगिया हार्ट एण्ड जनरल हॉस्पिटल) जयपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक सी–283/157 दिनांक 11.11.2008 द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर सम्बन्धित कार्यालय आदेश में जयपुर स्थित अस्पतालों की सूची के क्रम संख्या 5 में	**विवले**

"टोंगिया हार्ट एण्ड जनरल" हॉस्पिटल, जयपुर के स्थान पर 'हार्ट एण्ड जनरल हॉस्पिटल, जयपुर, नाम परिवर्तन किए जाने के माननीय कुलपति महोदय ने आदेश प्रदान किए है । तद्नुसार कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 6( ) मदसविवि/विवले/2008/54421 दिनाक 30.12.2008 **(कार्यसूची का परिशिष्ठ– III)** जारी किया गया है ।

निर्णय **पुष्टि की गई ।**

(2) प्रतिवेदन है कि, अधिनियम की धारा 37(1) के अन्तर्गत वित्त समिति पर प्रबन्ध बोर्ड के नामित सदस्य के रूप में बोर्ड द्वारा सदस्य नामित नहीं होने के कारण माननीय कुलपति महोदय ने प्रो. बी.पी. सारस्वत, विभागाध्यक्ष, वाणिज्य एवं सदस्य, प्रबन्ध बोर्ड को मनोनीत किया है । **शैक्षणिक–I**

निर्णय **पुष्टि की गई ।**

(3) प्रतिवेदन है कि, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ.डी. (रूल्स) 86 पार्ट–III दिनांक 25.10.2008 के अनुरूप विश्वविद्यालय कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2007–08 के लिए प्रदत्त बोनस के भुगतान की स्वीकृति के आदेश माननीय कुलपति महोदय ने प्रदान किए है। तद्नुसार, कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.6 ( ) विवले – III/ मदसविवि/08/2222–72 दिनांक 31.10.2008 **(कार्यसूची का परिशिष्ठ– XVIII)** जारी किया गया है । **विवले**

निर्णय **पुष्टि की गई ।**

(4) प्रतिवेदन है कि सत्र 2008–09 में प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय के अध्यादेश 124 के प्रावधानों मे किए गए संशोधनों को सत्र 2008–09 से प्रवृत्त मान्य किए जाने के प्रयोजन से माननीय कुलपति महोदय ने अध्यादेश 124.1 में "2005–06" के स्थान पर 2008–09 संशोधित किया है । **शैक्षणिक–I एवं शोध**

निर्णय **पुष्टि की गई ।**

(5) प्रतिवेदन है कि, विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 19 (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय कुलपति महोदय ने 1 अप्रेल, 2009 से 30 जून, 2009 तत्पश्चात् 31 जुलाई, 2009 तक के लिए लेखानुदान (On account Budget) की स्वीकृति प्रदान की है । तद्नुसार कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.6 ( ) वित्त–बजट/ मदसविवि/ 2009/15472 दिनांक 25.03.2009 **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–XXIV)** एवं समसंख्यक आदेश क्रमांक 904 दिनांक 27.06.2009 **(कार्यसूची का परिशिष्ठ– XXV)** जारी किए गए है । **विवले**

निर्णय **पुष्टि की गई ।**

(6) प्रतिवेदन है कि, राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 12 (4) एफ.डी/रूल्स /2008/जयपुर दिनांक 27.02.2009 से पेंशनर्स / पारिवारिक पेंशनर्स को देय महंगाई राहत की दर 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 22 प्रतिशत किए जाने के क्रम में विश्वविद्यालय के पेंशनर्स /पारिवारिक पेंशनर्स को भी राज्य सरकार के अनुरूप 22 प्रतिशत महंगाई राहत देय करने हेतु माननीय कुलपति महोदय के आदेश की पालना में कार्यालय आदेश क्रमांक एफ. 6 ( )/विवले/ पेंशन/मदसविवि/2005/28137 दिनांक 04.06.2009 जारी किया गया । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ– XXVI)**

विवले

निर्णय **पुष्टि की गई ।**

(7) प्रतिवेदन है कि, राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के (रूल्स डिवीजन) आदेश क्रमांक एफ 6.(1) वित्त/नियम/2008 जयपुर दिनांक 27.02.2009 से के अनुरूप विश्वविद्यालय अधिकारियों और कर्मचारियों जिसका अधिसूचना क्रमांक एफ.1( )/संस्थापन/ मदसविवि/ 2008/ 48574 दिनांक 17.10.2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतनमान नियम, 2008 में वेतन नियतन किए गए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को देय महंगाई राहत की दर 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 22 प्रतिशत किए जाने के क्रम में माननीय कुलपति महोदय के आदेश की पालना मे कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 6 ( )/विवले/डीए/मदसविवि/2005 / 17161 दिनांक 08.04.2009 जारी किया गया । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ– XXVII)**

विवले

निर्णय **पुष्टि की गई ।**

(8) प्रतिवेदन है कि, प्रबन्ध बोर्ड की निर्णय संख्या 14 दिनांक 13 अक्टूबर, 2008 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2008 में राज्य सरकार द्वारा किए गए संशोधनो को प्रवृत्त कर प्रबन्ध बोर्ड को प्रतिवेदित करने के निर्णय की अनुपालना में माननीय कुलपति महोदय द्वारा राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.6(4) वित्त (नियम)/07 दिनांक 6.2.2009 के अनुरूप म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर के अनुरूप मकान किराया भत्ता नियम में संशोधन कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1( )/संस्था/ मदसविवि / 2009 / 9277 दिनांक 9.2.2009 द्वारा किया गया है । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ– XXVIII)**

विवले

निर्णय **पुष्टि की गई ।**

(9) प्रतिवेदन है कि, विश्वविद्यालय के परीक्षा और गोपनीय अनुभाग में गोपनीयता एवं सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने की दृष्टि से माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार 01.04.2009 की पालना में दिनांक 01.04.2009 से 25.01.2010 तक 03 गनमैन सैनिक कल्याण विभाग,

परीक्षा नियंत्रक

राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प. 8(1)सै.क./2003/31 दिनांक 17.04.2008 के भाग–ा के अन्तर्गत रू. 6000/–समेकित पारिश्रमिक, रू. 800/– साप्ताहिक विश्राम, रू.250/– मकान किराया भत्ता, रू. 768/– भविष्य निधि, रू. 340/–सेवा प्रभार तथा रू. 1008/– सेवा कर कुल राशि 9166/– प्रति गनमैन प्रतिमाह की दर से मैसर्स हिन्दुस्तान पूर्व सैनिक, ह्यूमन वेलफेयर मल्टीपरपज कॉपरेटिव सोसायटी लि., जयपुर लगाए गए है ।

निर्णय **पुष्टि की गई ।**

(10) प्रतिवेदन है कि, माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 16.04.2009 के अनुसार श्री कन्हैया लाल भूपार्य पुत्र श्री नारायण प्रसाद भूपार्य, सेवानिवृत सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी को विश्वविद्यालय में भूमि संबंधी कार्यों का निष्पादन करने हेतु संविदा के आधार पर समेकित पारिश्रमिक रूपये 6750/– प्रतिमाह पर 06 माह के लिए इस शर्त के साथ नियुक्त किया गया है कि प्रबन्ध बोर्ड द्वारा श्री भूपार्य की नियुक्ति एवं राज्य सरकार के संशोधन पत्र क्रमांक एफ. 17(10)डीओपी/ए–ा/94 दिनांक 29.08.2008 की स्वीकृति होने पर श्री भूपार्य को उनके कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से पारिश्रमिक की समेकित राशि रूपये 9000/– प्रतिमाह देय होगी । तद्नुसार कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1 ( )संस्था/ मदसविवि/ 2009/9144 दिनांक 16.04.2009 जारी किया गया । **संस्थापन**

निर्णय **उक्त आदेश की पुष्टि की गई एवं राज्य सरकार के वर्णित आदेश को स्वीकार किया गया ।**

(11) प्रतिवेदन है कि, माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 09.03.2009 के अनुसार श्री जे.पी. झामरिया, सेवानिवृत्त सहायक कुलसचिव को विश्वविद्यालय में विशेषाधिकारी के पद पर संविदा के आधार पर समेकित पारिश्रमिक रूपये 6750/– प्रतिमाह पर 06 माह के लिए इस शर्त के साथ नियुक्त किया गया है कि प्रबन्ध बोर्ड द्वारा श्री झामरिया की नियुक्ति एवं राज्य सरकार क संशोधन पत्र क्रमांक एफ.17(10) डीओपी/ए–ा/94 दिनांक 29.08.2008 की स्वीकृति होने पर श्री झामरिया को उनके कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से पारिश्रमिक की समेकित राशि रूपये 9000/– प्रतिमाह देय होगी । तद्नुसार कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1 ( )/संस्था/ मदसविवि/2009/5025 दिनांक 09.03.2009 जारी किया गया । **संस्थापन**

निर्णय **उक्त आदेश की पुष्टि की गई एवं राज्य सरकार के वर्णित आदेश को स्वीकार किया गया ।**

(12) प्रतिवेदन है कि माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 24.04.2009 के अनुसार श्री सुन्दर जी मटाई, सेवानिवृत लेखाकार का विश्वविद्यालय अभियन्ता कार्यालय के विभिन्न कार्यों यथा तकनीकी कार्यों, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एवं अन्य अग्रिमों के समायोजन, आर.एस.आर.डी.सी. से प्राप्त बिलों का भुगतान एवं पत्रों का निस्तारण **संस्थापन**

एवं निष्पादन करने हेतु संविदा के आधार पर समेकित पारिश्रमिक 6750/– प्रतिमाह पर 06 माह के लिए इस शर्त के साथ नियुक्ति किया गया है कि प्रबन्ध बोर्ड द्वारा श्री मटाई की नियुक्ति एवं राज्य सरकार के संशोधन पत्र क्रमांक एफ.17 (10) डीओपी/ए–II/94 दिनांक 29.08.2008 की स्वीकृति होने पर श्री मटाई को उनके कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से पारिश्रमिक की समेकित राशि रूपये 9000/– प्रतिमाह देय होगी । तद्नुसार कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1( )संस्था/ मदसविवि/2009/ 9144 दिनांक 16.04.2009 जारी किया गया ।

निर्णय **उक्त आदेश की पुष्टि की गई एवं राज्य सरकार के वर्णित आदेश को स्वीकार किया गया ।**

संस्थापन

(13) प्रतिवेदन है कि, माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 14.05.2009 के अनुसार श्री चतुर्भुज परमार पुत्र श्री के.एल. परमार, सेवानिवृत पी.टी.आई. दयानन्द कॉलेज, अजमेर को विश्वविद्यालय के खेल परिसर के विकास एवं खेल गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने हेतु संविदा के आधार पर समेकित पारिश्रमिक रूपये 6750/– प्रतिमाह पर 06 माह के लिए इस शर्त के साथ नियुक्त किया गया है कि प्रबन्ध बोर्ड द्वारा श्री परमार की नियुक्ति एवं राज्य सरकार के संशोधन पत्र क्रमांक एफ.17 (10) डीओपी/ए–II/94 दिनांक 29.08.2008 की स्वीकृति होने पर श्री परमार को उनके कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से पारिश्रमिक की समेकित राशि रूपये 9000/– प्रतिमाह देय होगी । तद्नुसार कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.( )संस्था/ मदसविवि/2009/23512 दिनांक 23.05.2009 जारी किया गया ।

निर्णय **उक्त आदेश की पुष्टि की गई एवं राज्य सरकार के वर्णित आदेश को स्वीकार किया गया ।**

शैक्षणिक–II

(14) प्रतिवेदन है कि, आयुक्त , कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर द्वारा पत्र क्रमांक एफ.4 (64) आयोजना/आकाशि/91/79–83 दिनांक 29 जनवरी, 2009 के माध्यम से माननीय कुलपति महोदय को राजकीय एम.बी.आर. महाविद्यालय, बालोतरा में एम.ए. राजनीति विज्ञान एवं एम.कॉम.–ए.बी.एस.टी. पाठ्यक्रमों की सत्र 2008–09 से नवीन सम्बद्धता हेतु दिनांक 05.07.2008 को प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर विलम्ब शुल्क राशि रू. 2,10,000/– के साथ सत्र 2008–09 के लिये नवीन सम्बद्धता प्रदान किये जाने के संबंध में महामहिम राज्यपाल महोदय के निर्देशों से अवगत कराते हुए प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया । जिसके अनुसरण में माननीय कुलपति महोदय द्वारा उपरोक्त पाठ्यक्रमों में महाविद्यालय द्वारा निर्धारित विलम्ब शुल्क जमा कराये जाने के पश्चात् आवेदन पत्र स्वीकार करते हुए नवीन सम्बद्धता हेतु निरीक्षकों की नियुक्ति के आदेश प्रदान किये गये ।

निर्णय **पुष्टि की गई ।**

(15) प्रतिवेदन है कि राजकीय महाविद्यालय, भोपालगढ़, जिला जोधपुर द्वारा बी.ए. पाठ्यक्रम हेतु सत्र 2008–09 से नवीन सम्बद्वता बाबत् दिनांक 27.08.2008 को प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबंध में आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ.4 (269) आयोजना /आकाशि/05 पार्ट/4–88 दिनांक 29 जनवरी, 2009 द्वारा माननीय कुलपति महोदय को सत्र 2008–09 से प्रारम्भ किये गये नवीन राजकीय महाविद्यालय, भोपालगढ़, जिला जोधपुर को विलम्ब अवधि को विलोपित करते हुए नवीन सम्बद्वता जारी करने के संबंध में महामहिम राज्यपाल महोदय की विशेष सहमति प्रदान किये जाने से अवगत कराते हुए प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया । जिसके अनुसरण में माननीय कुलपति महोदय द्वारा विलम्ब अवधि को विलोपित करते हुए बिना विलम्ब शुल्क सम्बद्वता हेतु आवेदन पत्र स्वीकार कर निरीक्षकों की नियुक्ति के आदेश प्रदान किये गये । **शैक्षणिक–II**

निर्णय **पुष्टि की गई ।**

(16) प्रतिवेदन है कि विश्वविद्यालय के सामान्य प्रावधायी निधि नियम के अन्तर्गत ब्याज का निर्धारण करने के लिए समिति पर प्रबन्ध बोर्ड के 02 सदस्यों का मनोनयन प्रबन्ध बोर्ड द्वारा किया जाता है । प्रबंध बोर्ड की बैठक नहीं होने के कारण वर्ष 2007–08 के लिए गठित समिति पर माननीय कुलपति महोदय ने प्रबंध बोर्ड के 02 सदस्य सर्वश्री प्रो. रमाकान्त और प्रो. बी.पी. सारस्वत को मनोनीत किया है । **विवले**

निर्णय **पुष्टि की गई ।**

(17) प्रतिवेदन है कि वित्त समिति की दिनांक 09.01.2009 को सम्पन्न हुई बैठक द्वारा अनुशंषित वर्ष 2008–09 के बजट अनुमानों को प्रबन्ध बोर्ड की बैठक आयोजित नहीं होने के कारण माननीय कुलपति महोदय ने विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 19 (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वीकृति प्रदान की है । **विवले**

निर्णय **पुष्टि की गई ।**

मद सं. 4 प्रबन्ध बोर्ड की निर्णय सं. 14 दिनांक 26.06.2006 की अनुपालना में डॉ. एन.एम. खण्डेलवाल को जारी कारण बताओ नोटिस क्रमांक एफ ( )पीए/ कुलसचिव/मदसविवि/2006/1445 दिनांक 5.10.2006 के उत्तर में प्राप्त प्रत्युत्तर पर निम्नांकित दस्तावेजों के साथ विचार कर निर्णय हेतु प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड की दिनांक 11.06.2008 को आयोजित बैठक में मद संख्या 7 पर प्रस्तुत किया गया था, जिसे आगामी बैठक में विचार हेतु रखा गया । अतः स्थगित मद पर निर्णय करना : **संस्थापन**

1. कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1 ( )संस्था/ मदसविवि/ 2002/6864 दिनांक 12.09.2002 के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 24.10.2002 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्तकी प्रति । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–IV)**

2. डॉ. खण्डेलवाल को ज्ञापन क्रमांक एफ 1 ( )संस्था/ मदसविवि/2002/285 दिनांक 24.10.2002 के अन्तर्गत प्रस्तुत आरोप–पत्र की प्रति । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–V)**

3. जॉच अधिकारी के नियुक्ति के आदेश क्रमांक एफ.1 ( )संस्था/मदसविवि/2002/349–57 दिनांक 26.12.2002 की प्रति । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–VI)**

4. जॉच अधिकारी द्वारा दिनांक 22.03.2003 को प्रस्तुत जॉच प्रतिवेदन की प्रति । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–VII)**

5. जॉच प्रतिवेदन के निष्कर्षों पर राजस्थान के महाधिवक्ता श्री बी.पी. अग्रवाल से विधिक परामर्श हेतु किए गए निवेदन क्रमांक एफ.1 ( )संस्था/मदसविवि/2006/1075 दिनांक 18.03.2006 की प्रति । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–VIII)**

6. महाधिवक्ता, राजस्थान द्वारा पत्र क्रमांक एजी/ पीएस/ फीस/ लीगल/ओपिनियन/2006 दिनांक 20.06.2006 के अन्तर्गत प्रदत्त विधिक परामर्श की प्रति । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–IX)**

7. बोर्ड की निर्णय सं. 14 दिनांक 26.6.2006 की अनुपालना में डॉ. एन.एम. खण्डेलवाल को दिए गए कारण बताओ नोटिस क्रमांक एफ.( )कुलसचिव/मदसविवि/2006/1445 दिनांक 05.10.2006 की प्रति । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–X)**

8. उक्त कारण बताओं नोटिस के उत्तर में डॉ. खण्डेलवाल द्वारा दिए गए प्रत्युत्तर की प्रति ।**(कार्यसूची का परिशिष्ठ–XI)**

निर्णय **अगली बैठक में विचार हेतु स्थगित किया गया ।**

मद सं. 5 विद्या परिषद् की निर्णय संख्या 03 दिनांक 12.09.2008 पर निर्णय संख्या 22 के सम्बन्ध में प्रेक्षण के अन्तर्गत सन्दर्भित समिति की दिनांक 23.08.2009 को सम्पन्न बैठक की अनुशंसाओ पर विचार करना **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–XII)** **शैक्षणिक–I**

निर्णय **कार्यसूची के परिशिष्ठ–XII पर प्रस्तुत कार्यवृत्त को स्वीकार करने की संस्तुति की और तद्नुसार परिनियम में संशोधन किए जाने हेतु प्रस्ताव विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 21 के अनुसार कुलाधिपति**

महोदय को भिजवाए जाने का निर्णय किया ।

मद सं. 6	विद्या परिषद् की निर्णय संख्या 17 दिनांक 12.09.2008 के अनुसार विश्वविद्यालय में दो प्रकार की शोध अध्ययेत्तावृति एवं आर्थिक सहयोग हेतु लागू किए जाने के सम्बन्धित प्रस्तावित अध्यादेश **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–XIII)** पर विचार करना । (परिशिष्ठ पृथक से प्रेषित किया जायेगा)	**शोध**

निर्णय **अगली बैठक में विचार हेतु स्थगित किया गया ।**

मद सं. 7	विद्या परिषद् द्वारा निर्णय सं. 12 दिनांक 16 जुलाई, 2008 में स्व–वित्तपोषी पाठ्यक्रम संचालन समिति की दिनांक 19.06.2008 को सम्पन्न बैठक की संस्तुतियों पर विचार करके जिन सुझावों एवं बिन्दुओं को समाविष्ट करते हुए संशोधित संस्तुतियॉ प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदनार्थ रखने का निर्णय किया था, उसके क्रम में स्व–वित्तपोषी पाठ्यक्रम संचालन समिति द्वारा दिनांक 12.12.2008 को सम्पन्न बैठक में संशोधित कर प्रस्तुत किए गए स्व–वित्तपोषी पाठ्यक्रम नियमों **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–XIV)** पर विचार कर निर्णय करना ।	**शैक्षणिक एवं विवले**

निर्णय **कार्यसूची के परिशिष्ठ–XIV पर प्रस्तुत कार्यवृत्त का अनुमोदन किया ।**

मद सं. 8	भवन निर्माण समिति की दिनांक 2 जनवरी, 2009 को सम्पन्न 38वीं बैठक के कार्यवृत्त **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–XV)** विचार करना ।	**अभियन्ता कार्यालय**

निर्णय **कार्यसूची के परिशिष्ठ–XV पर प्रस्तुत कार्यवृत्त का अनुमोदन किया ।**

मद सं. 9	भवन निर्माण समिति की दिनांक 2 जनवरी, 2009 को सम्पन्न 38वीं बैठक की संस्तुति संख्या–3 द्वारा वास्तुविद् की नियुक्ति के सम्बन्ध में गठित समिति की दिनांक 10 जनवरी, 2009 को सम्पन्न बैठक की संस्तुतियों **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–XVI)** पर विचार करना ।	**अभियन्ता कार्यालय**

निर्णय **कार्यसूची के परिशिष्ठ–XVI पर प्रस्तुत कार्यवृत्त का अनुमोदन किया ।**

मद सं. 10	विश्वविद्यालय वित्त समिति की दिनांक 9 जनवरी 2009 को सम्पन्न बैठक की संस्तुतियों **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–XVII)** पर विचार करना । संस्तुतियॉ पृथक से भेजी जाएंगी ।	**विवले**

निर्णय **कार्यसूची के परिशिष्ठ–XVII पर प्रस्तुत कार्यवृत्त का अनुमोदन किया ।**

मद सं. 11 विश्वविद्यालय के अध्यादेश 124 में जहाँ–जहाँ शब्द "Subject Research Committee (SRC)" है, के स्थान पर " Research Registration Committee (RRC)" संशोधित किये जाने पर विचार करना ।

शैक्षणिक–I एवं शोध

निर्णय **विश्वविद्यालय के अध्यादेश 124 में उक्त संशोधन स्वीकृत किया गया ।**

मद सं. 12 विश्वविद्यालय के अध्यादेश 124.7 (iii) में वर्तमान प्रावधान के नीचे निम्नांकित प्रावधान जोड़े जाने पर विचार करना :

In the event of suspension or dismissal from services of a person who has been appointed Supervisor and/or Co-supervisor in terms of O.124.6 the change of Supervisor shall be permissible on request of the Research Scholar and the period of his/her research work shall be counted for the purpose of award of degree. Change of supervisor shall also be considered on the request of the research scholars for the reasons recorded. The Research Supervisor can also recommend cancellation of the registration of a research scholar who does not pursue the research work properly.

शैक्षणिक–I एवं शोध

निर्णय **उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया तथा इस हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया ।**

मद सं. 13 विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 5.(1)(ट) की अनुपालना हेतु सम्मानित उपाधियॉ प्रदत्त किए जाने हेतु राजस्थान विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 34A को संशोधित रूप में निम्नानुसार परिनियम के रूप में अंगीकृत किए जाने पर विचार करना :

34A (1) There shall be a standing committee for the conferment of honorary degrees consisting of the following namely:-

(i) the Vice Chancellor;
(ii) the Chief Justice of the High Court of Rajasthan; and
(iii) the Dean of the Faculty concerned.

(2) No honorary degree, diploma or other academic distinction shall be conferred on any person unless the proposal for the conferment thereof has been:-
(a) originally made by the said Committee;
(b) approved of by the Board of Management
(c) confirmed by the Chancellor;

शैक्षणिक एवं दीक्षान्त

Provided that, in case of emergency, such proposal may be confirmed by the Chancellor on the recommendation of the said Committee, if the recommendation has been approved by the Board of Management.

निर्णय **उक्त प्रस्तावित प्रावधान, विश्वविद्यालय के परिनियम संख्या 19 के रूप में स्वीकार किए जाने की संस्तुति की तद्नुसार परिनियम मे संशोधन किए जाने हेतु प्रस्ताव विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 21 के अनुसार कुलाधिपति महोदय को भिजवाए जाने का निर्णय किया ।**

मद सं. 14 प्रदेश में उच्च शिक्षा को प्रोन्नत और विकसित किए जाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय में एक कार्यकारी समूह (Working-group for Promotion and Development of Higher Education in the State) गठित किए जाने पर विचार करना । **शैक्षणिक–I**

निर्णय **उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया ।**

मद सं. 15 विश्वविद्याालय के अधिनियम की धारा 5 (1) क में वर्णित विश्वविद्यालय के कृत्यों के अन्तर्गत ज्ञान की शाखाओं में विस्तार प्रदान करना भी विश्वविद्यालय का एक कर्त्तव्य है । इस सन्दर्भ में विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति/जनजाति प्रकोष्ठ के माध्यम से राजस्थान के अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग में उद्यमिता की समस्या, अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्गो में महिला सशक्तिकरण और राजस्थान में दलित वर्ग की समस्याओं को समझने के लिए विस्तार कार्यक्रम (Extension Activities) आरम्भ किए जाने पर विचार करना । **एस.सी./एस. टी. सैल**

निर्णय **उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया ।**

मद सं. 16 विश्वविद्यालय में बाह्य स्रोतों Out Sourcing से Internet Access Centre की स्थापना किए जाने पर विचार करना । **सामान्य प्रशासन**

निर्णय **उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया ।**

मद सं. 17 विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 35(2),(3), (4), (5) की अनुपालना में पृथक से "आधार निधि" (Foundation Fund) का गठन किए जाने पर विचार करना । **विवले**

निर्णय **विश्वविद्यालय में आधार निधि का गठन किये जाने की स्वीकृति प्रदान**

की गयी ।

मद सं. 18 विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित हुए राज्य सेवाओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राजस्थान सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार Disturbance Allowance का भुगतान किए जाने पर विचार करना । **संस्थापन**

निर्णय **उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया ।**

मद सं 19 राजस्थान सरकार की बी.एफ.सी. नॉन प्लान 2008–09 के कार्यवृत्त के बिन्दु सं. 5 के अनुसार स्टेनोग्राफर ग्रेड–प्रथम, विद्युतकर्मी एवं सुरक्षा प्रहरी के एक–एक (कुल तीन पद) पद को विश्वविद्यालय द्वारा समाप्त किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी । वर्तमान में विश्वविद्यालय में स्टेनोग्राफर ग्रेड–प्रथम का एक एवं विद्युतकर्मी का एक पद रिक्त उपलब्ध है । सुरक्षा प्रहरी का वर्तमान में कोई पद रिक्त नहीं है, इसकी सूचना सरकार को प्रेषित की जा चुकी है । बी.एफ.सी. द्वारा उपर्युक्तानुसार की गई टिप्पणी के क्रम में स्टेनोग्राफर ग्रेड–प्रथम एवं विद्युतकर्मी के एक–एक पद को समाप्त किए जाने पर विचार करना । **संस्थापन**

निर्णय **उक्त पदों को यथावत रखने हेतु राज्य सरकार को निवेदन किया जाय ।**

मद सं. 20 विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा, शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग के पत्र क्रमांक प. 21 (3)शिक्षा–4 दिनांक 15.10.2008 द्वारा कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा को प्रेषित पत्र की प्राप्त प्रतिलिपि में म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर को सूचित किया गया है कि, "वित्त विभाग के निर्देशानुसार, अजमेर विश्वविद्यालय से कोटा विश्वविद्यालय, कोटा में स्थाई समायोजन हेतु सरप्लस किए गए पदों में से जितने पद स्थानान्तरित नहीं हो पाए है, उतने पदों को समाप्त किया जावे । यदि समाप्त करने हेतु इतने पद रिक्त नहीं है, तो भविष्य में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति/पदोन्नति से रिक्त होने पर समाप्त किए जावें ।" पर विचार करना । **संस्थापन**

निर्णय **उक्त प्रस्ताव स्वीकृत किया ।**

मद सं. 21 महाराणा प्रताप भवन में गोपनीय अनुभाग में छात्रों एवं अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने एवं सुरक्षा की दृष्टि से गोपनीय अनुभाग (प्रथम व द्वितीय) दोनों में दो–दो गनमैन (कुल चार गनमैन) उपलब्ध कराए जाने पर विचार करना । **गोपनीय**

निर्णय **गोपनीय विभाग प्रथम एवं द्वितीय में दो–दो गनमैन कुल 04 गनमैन उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी ।**

मद सं. 22 कुलपति सचिवालय में कार्य के प्रभार के कारण सचिवालय में कार्यरत अधिकारी एवं अन्य कर्मचारियों को प्रतिदिन कार्यालय समय के बाद रात्रि तक रूक कर कार्य करना पड़ता है, इसके अतिरिक्त प्रातःकाल भी कार्यालय समय से पूर्व आकर कार्य का सम्पादन करना होता है, जिसके लिए उन्हें किसी प्रकार का मानदेय एवं पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। अतः कार्य की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए विशेष कार्यभत्ता निम्नानुसार दिए जाने पर विचार करनाः

कुलपति सचिवालय

1. अधिकारी वर्ग : रू. 2000/– प्रतिमाह
2. मंत्रालयिक वर्ग : रू. 1500/– प्रतिमाह
3. सहायक कर्मचारी वर्ग : रू.1000/– प्रतिमाह

इसके अतिरिक्त, सहायक कर्मचारी वर्ग के कार्मिकों के लिए कुलपति सचिवालय में पदस्थापित सहायक कर्मचारियों के लिए "विशेष परिधान" निर्धारित किए जाने पर विचार करना ।

निर्णय **राजस्थान विश्वविद्यालय से इसके संबंध में नियम मंगवाये जाएं ।**

मद सं 23 महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के अधिनियम 1987 की धारा 37 (1) में कथित वित्त समिति के गठन में संशोधन पर विचार करनाः

शैक्षणिक–I

'' वित्त समिति के सदस्य के रूप में कुलसचिव और विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर को और जोड़ा जाए। ''

निर्णय **इस संबंध में सरकार को प्रस्ताव भेजा जाय ।**

मद सं 24 भवन निर्माण समिति की दिनांक 29 जून, 2009 को सम्पन्न 39वीं बैठक के कार्यवृत्त **(कार्यसूची का परिशिष्ठ– XIX)** पर विचार करना ।

अभियन्ता कार्यालय

निर्णय **भवन निर्माण समिति की दिनांक 29 जून, 2009 की बैठक दिनांक 01.07.2009 को आयोजित हुई । इस बैठक के कार्यवृत्त पर विचार अगली बैठक हेतु स्थगित किया गया ।**

मद सं. 25 विश्वविद्यालय वित्त समिति की दिनांक 1 जुलाई, 2009 को सम्पन्न बैठक की संस्तुतियों **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–XX)** पर विचार करना ।

विवले

निर्णय **कार्यसूची का परिशिष्ठ– XX पर प्रस्तुत वित्त समिति की संस्तुतियों को स्वीकृत किया गया ।**

मद सं. 26 दिनांक 31 जनवरी, 2009 को सम्पन्न विद्या परिषद् की 39वीं बैठक के कार्यवृत्त पर विचार करना । **(परिशिष्ठ– XXI)**

शैक्षणिक–I

निर्णय **कार्यसूची के परिशिष्ठ-XXI पर प्रस्तुत विद्या परिषद् के कार्यवृत्त का**

अनुमोदन किया ।

मद सं. 27 दिनांक 30 अप्रेल, 2009 को सम्पन्न विद्या परिषद् की 41वीं बैठक के कार्यवृत्त पर विचार करना । **(परिशिष्ठ–XXII)** **शैक्षणिक–I**

निर्णय **कार्यसूची के परिशिष्ठ-XXII पर प्रस्तुत विद्या परिषद् के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया ।**

मद सं 28 दिनांक 10 जून, 2009 को सम्पन्न विद्या परिषद् की 42वीं बैठक के कार्यवृत्त पर विचार करना । **(परिशिष्ठ– XXIII)** **शैक्षणिक–I**

निर्णय **कार्यसूची के परिशिष्ठ-XXIII पर प्रस्तुत विद्या परिषद् के कार्यवृत्त के मद संख्या 13 व 14 को स्थगित रखते हुए शेष का अनुमोदन किया ।**

मद सं. 29 विश्वविद्यालय वित्त समिति की दिनांक 28 मई, 2009 को सम्पन्न बैठक की संस्तुतियों **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–XXIV)** पर विचार करना । **विवले**

निर्णय **कार्यसूची के परिशिष्ठ– XXIV पर प्रस्तुत विश्वविद्यालय वित्त समिति की दिनांक 28 मई, 2009 को सम्पन्न बैठक की संस्तुतियों को स्वीकृत किया गया ।**

मद सं. 30 प्रबन्ध बोर्ड की निर्णय संख्या 27 दिनांक 06.12.1995 द्वारा किए गए निर्णय कि 'दिनांक 31 मई, 1994 तक सुरक्षा प्रहरी/चौकीदार/सहायक कर्मचारी के रूप में स्थिर वेतन पर रखे गये कर्मचारियों को दिनांक 06.12.1995 से इन पदों के लिए स्वीकृत वेतनमान का न्यूनतम वेतन एवं भत्ते दिए जाएं । इन कर्मचारियों को कोई वेतन वृद्धि देय नहीं होगी । नियमित पद उपलब्ध होने पर इन कर्मचारियों को वरीयता के आधार पर समायोजित किया जाएगा जो नियुक्ति या पदोन्नति नहीं माना जाएगा, इस प्रकार के समायोजन की दिनांक से वे नियमित रूप से सेवारत माने जाएंगे । ऐसे कार्मिकों को समायोजन की दिनांक से नियमित कर्मचारी माना गया है । इन कर्मचारियों ने प्रार्थना की है कि उन्हें चयनित वेतनमान का लाभ जो अभी उन्हें नियमित नियुक्ति की दिनांक से प्राप्त हो रहा है, उसे दिनांक 06.12.1995 से दिया जाए । कार्मिकों की प्रार्थना पर विचार कर निर्णय करना । **संस्थापन**

निर्णय **अगली बैठक में विचार हेतु स्थगित किया गया ।**

मद सं 31 प्रबन्ध बोर्ड पर कुलाधिपति द्वारा नामित शिक्षाविद् प्रो. रमाकांत के संयोजकत्व में माननीय कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 03.06.2009 द्वारा विश्वविद्यालय के मैरिट लिस्ट नियम और पदक प्रदान करने की शर्तो की पुनर्वीक्षा करके उन्हें स्पष्ट एवं व्यावहारिक बनाए जाने के क्रम में की गई संस्तुतियों पर विचार करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–XXIX)** **परीक्षा**

निर्णय **अगली बैठक में विचार हेतु स्थगित किया गया ।**

मद सं 32 मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण, विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक. एस.ई.सी/2009/43 दिनांक 27.02.2009 की अनुपालना में श्री आर.सी. जैन, सहायक अभियन्ता ने दिनांक 02.03.2009 को पुर्वाह्न में प्रतिनियुक्ति पर विश्वविद्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु उपस्थिति दी थी । दिनांक 02.03.2009 को चुनाव आचार संहिता लागू हो जाने के कारण पूर्व से कार्यरत सहायक अभियन्ता श्री अनुराग को कार्यमुक्त नहीं किया जा सका । माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार श्री आर.सी. जैन को दिनांक 09.03.2009 को सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर में रिपोर्ट करने हेतु निर्देशित किया गया । अतः उक्त श्री आर.सी. जैन को दिनांक 02.03.2009 से 09.03.2009 तक की अवधि के लिए वेतन का भुगतान विश्वविद्यालय में स्वीकृत एवं रिक्त सहायक कुलसचिव के पद के विरूद्ध उठाया जाकर किए जाने पर विचार करना । **संस्थापन**

निर्णय **अगली बैठक में विचार हेतु स्थगित किया गया ।**

मद सं 33 विद्या परिषद् की निर्णय संख्या 18 दिनांक 12 सितम्बर, 2008 की अनुपालना में विश्वविद्यालय परिसर और विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में सम्बद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों, शोधार्थियों तथा छात्र/छात्राओं की शैक्षणिक गतिविधियों व शैक्षणोत्तर गतिविधियों में अर्जित उपलब्धियों के लिए **अचीवर्स क्लब** गठित किए जाने के संबंध में प्रो. के.के. शर्मा, विभागाध्यक्ष, प्राणिशास्त्र विभाग की अध्यक्षता में माननीय कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति की संस्तुतियों पर विचार करना **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–XXX)** । **डीन, छात्र कल्याण**

निर्णय **अगली बैठक में विचार हेतु स्थगित किया गया ।**

मद सं 34 विश्वविद्यालय सेवा मे पुनर्नियुक्त ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो मिलिट्री पेंशन प्राप्त कर रहे है और जिन्हें विश्वविद्यालय के पेंशन विनियमों के विनियम 2:2 (डी) के अन्तर्गत "Re-employed pensioners" मानते हुए विश्वविद्यालय पेंशन नियम उन पर प्रभावशील नहीं होने के कारण उनकी मॉग को 'कि उन्हें विश्वविद्यालय में की गई सेवा का पेंशन लाभ दिया जाए' राज्य सरकार के समक्ष पत्र दिनांक 14.07.2008 और 06.10.2008 द्वारा प्रेषित किया गया था, जिसके उत्तर में राज्य सरकार ने पत्र प. 18 (1) शिक्षा–4/08/पार्ट दिनांक 17.11.2008 द्वारा सूचित किया है कि "विश्वविद्यालय अपने वर्तमान नियमों में पेंशन संबंधी प्रावधानों के अन्तर्गत निर्णय कर सकता है ।" अतः राज्य सरकार के पत्र के संदर्भगत विचार करना । **संस्थापन**

निर्णय **अगली बैठक में विचार हेतु स्थगित किया गया ।**

मद सं 35 प्रबन्ध बोर्ड ने निर्णय संख्या 9 दिनांक 25.09.1993 द्वारा विश्वविद्यालय में सुरक्षा प्रहरियों की संख्या 30 निर्धारित की है तथा यह भी निर्णय किया कि सुरक्षा प्रहरियों की भविष्य में होने वाली आवश्यकता को सक्षम एजेन्सियों या सैनिक बोर्ड से संविदा पर व्यक्ति प्राप्त करके पूरा **मुख्य कुलानुशासक एवं संस्थापन**

किया जाए । प्रबन्ध बोर्ड ने निर्णय सं. 16 दिनांक 12.02.1997 द्वारा सुरक्षा प्रहरियों की पूर्व निर्धारित संख्या 30 को परिवर्तित करके 38 कर दिया । वर्तमान में स्थायी 14 और संविदा पर 46 कुल 60 सुरक्षा प्रहरी विश्वविद्यालय में उपलब्ध हैं । विश्वविद्यालय के निर्मित भवनों एवं निर्माणाधीन भवनों सहित परिसर की पूर्ण सुरक्षा के दृष्टिकोण से 100 सुरक्षा प्रहरी और एक सुरक्षा अधिकारी संविदा पर सक्षम एजेन्सी अथवा सैनिक बोर्ड से लिए जाने पर विचार करना ।

निर्णय **अगली बैठक में विचार हेतु स्थगित किया गया ।**

मद सं 36 प्रबन्ध बोर्ड की निर्णय संख्या 31 दिनांक 13.10.2008 की अनुपालना में जारी किए गए कार्यालय आदेश को व्यावहारिक रूप में प्रभावशील करने में निम्नांकित कठिनाईयां अनुभव हुई हैं:– **सामान्य प्रशासन**

1. 23 ऐसे दूरभाष है जिसे विश्वविद्यालय के अधिकारियों के कार्यालय एवं निवास पर लगाया गया है और जिनका सम्पूर्ण व्यय किराये सहित विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जाता है । उनके किराए और प्लान को परिवर्तित किया जाना है ।
2. वर्तमान में 09 ऐसे दूरभाष हैं जो विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं अधिकारियों के निवास पर लगाए गए हैं इन दूरभाषों के संदर्भ में कार्यालय आदेश दिनांक 15.01.2009 के अनुसार सम्पूर्ण भुगतान संबंधित शिक्षक/अधिकारी द्वारा किया जाना लगता है । इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि दूरभाष का किराया जो पूर्व में विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जाता था वह वर्तमान में निर्धारित दर में सम्मिलित है अथवा नहीं ?
3. विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं शिक्षकों के निवास पर उनके निजी दूरभाष के संबंध में कार्यालय आदेश दिनांक 15.01.2009 के अनुसार संबंधित शिक्षकों एवं अधिकारियों को भुगतान किया जाना है किन्तु यह भुगतान वेतन के साथ किया जाना है अथवा प्रतिमाह, संबंधित द्वारा वाउचर बनाकर प्राप्त किया जाना है ।
4. विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षकों एवं अधिकारियों के आवासों पर तथा कार्यालयों में जो बेसिक लाईन के दूरभाष हैं उन्हें बी.एस.एन.एल. के ऐसे लाभकारी प्लान में परिवर्तित करने पर विचार करना जिसमें यथा प्लान 149 या 199 आदि ।
5. कुलपति महोदय को रू0 1500/– मोबाईल का व्यय वेतन के साथ भुगतान करना ।

   अतः उपर्युक्त स्थितियों पर विचार कर निर्णय करना ।

निर्णय **<u>बिन्दु संख्या 01 से 04 हेतु निर्णयः–</u> बी.एस.एन.एल के प्लान 149 एवं 199 को स्वीकार किया तथा सभी शिक्षक, अधिकारी जिन्हें दूरभाष की सुविधा विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी है उनका दूरभाष किराया एवं निर्धारित कॉल्स की सीमा तक कॉल्स की राशि विश्वविद्यालय द्वारा जमा कराया जाना स्वीकार किया, चाहे दूरभाष स्वयं का हो या विश्वविद्यालय का ।**

<u>बिन्दु संख्या 05 हेतु निर्णयः–</u> कुलपति महोदय को मोबाईल कॉल्स की अधिकतम राशि जो 1500/– रू0 देय थी, वह 1500/– रू0 की राशि

प्रतिमाह नकद भुगतान कर दी जावे ।

मद सं 37 प्रबन्ध बोर्ड के निर्णय संख्या 6 दिनांक 11.10.2008 विश्वविद्यालय के अधिकारियों को पदोन्नति दिए जाने एवं वरिष्ठ/चयनित वेतनमान दिए जाने के संबंध में नियम प्रस्तावित करने हेतु गठित समिति के निर्णय संख्या 1 (1 से 11 तक) पर स्वीकृति प्रदान की गई थी और यह भी निर्णय किया गया था कि इन्हें अनुमोदन करने हेतु राज्य सरकार को भिजवाया जाए और वहॉ से अनुमोदन प्राप्त होने पर इन्हें लागू किया जाय । तद्नुसार विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा को पत्र क्रमांक एफ 1 ( )संस्था/2008/36144 दिनांक 30.07.08 प्रेषित किया गया किन्तु इस संबंध में राज्य सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है । **संस्थापन**

निर्णय **अगली बैठक में विचार हेतु स्थगित किया गया ।**

मद सं 38 महामहिम राज्यपाल राजस्थान एवं कुलाधिपति, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के प्रमुख शासन सचिव द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक एफ 26 (15) आरबी/2008/720 दिनांक 03.02.09 के अन्तर्गत प्राप्त महामहिम के निर्देशों जिसके अनुसार निम्नांकित शैक्षणिक पदों के साक्षात्कार जो 26 एवं 27 जुलाई, 2007 को आयोजित किए गए थे उन्हें निरस्त किया गया है और यह निर्देश प्रदान किए गए है कि ये साक्षात्कार पुनः आयोजित किए जायें और उन सभी अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाए जिन्होंने इन पदों के लिए आवेदन किया था तथा उस समय इन पदों के लिए वे पात्र मान्य किए गए थेः– **संस्थापन**

1	प्रोफेसर संस्कृत	01 पद
2	प्रोफेसर कॉमर्स	01 पद
3	एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास	01 पद
4	एसोसिएट प्रोफेसर अर्थशास्त्र	01 पद
5	एसोसिएट प्रोफेसर जूलोजी	01 पद
6	एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी	01 पद
7	एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स	01 पद

निर्णय **उक्त पत्र में वर्णित महामहिम कुलाधिपति महोदय के निर्देशों को अभिलिखित किया । माननीय सदस्य डॉ0 रघुशर्मा ने यह मत व्यक्त किया कि यदि साक्षात्कार पुनः किए जाने है तो नए सिरे से विज्ञप्ति जारी की जानी चाहिए । इस मत पर प्रबन्ध बोर्ड ने प्रो0 रमाकान्त को अधिकृत किया कि वे महामहिम से इस संबंध में विचार–विमर्श कर प्रबन्ध बोर्ड को अवगत कराए ।**

मद सं 39 राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) द्वारा दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्यायन के 5 वर्ष पूर्व विश्वविद्यालय का पुनर्मूल्यांकन और पुनर्प्रत्यायन हेतु आमंत्रित किए जाने का प्रावधान है । इस विश्वविद्यालय का मूल्यांकन एवं प्रत्यायन 16 सितम्बर, 2004 को हुआ था । अतः परिषद् को पुनर्मूल्यांकन एवं पुनर्प्रत्यायन हेतु आमंत्रित करने हेतु विचार करना । **शैक्षणिक–I**

निर्णय **अगली बैठक में विचार हेतु स्थगित किया गया ।**

मद सं 40 विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग के रिक्त 6 पद जो सीधी भर्ती के हैं पर नियुक्ति किये जाने पर विचार करना । **संस्थापन**

निर्णय **अगली बैठक में विचार हेतु स्थगित किया गया ।**

मद सं 41 गैर आयोजना वर्ष 2009–10 के लिए बजट निर्धारण समिति दिनांक 23.10.2008, 24.10.2008 एवं 10.12.2008 के महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के संबंध में किए गए निम्नांकित निर्णय पर विचार करनाः– **संस्थापन**

"Two posts of Assistant Registrar abolished and HLA & LA are to be created in MDS University, Ajmer."

निर्णय **अगली बैठक में विचार हेतु स्थगित किया गया ।**

मद सं 42 प्रमुख शासन सचिव, तकनीकी एवं उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक प. 14 (10) शिक्षा–4/01 पार्ट दिनांक 09.01.2009 द्वारा महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के लिए शिक्षकों के निम्नांकित पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की हैः– **संस्थापन**

क्र.सं.	विषय	प्रोफेसर	एसो.प्रोफेसर	असि. प्रोफेसर
1	इतिहास	1	2	-
2	पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन	-	1	-
3	माइक्रो बायलॉजी	1	2	-
4	बॉटनी	-	2	-
	फूड एण्ड न्यूट्रीशन	1	1	-
5	ज्यूलॉजी	-	2	1
6	प्योर एण्ड एप्लायड केमेस्ट्री	-	1	-
7	कॉमर्स	1	-	-
	कुल	**4**	**11**	**1**

इसी प्रकार महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के लिए शिक्षकों के निम्नांकित पदों को समाप्त करने की सूचना दी हैः–

क्र.सं.	विषय	प्रोफेसर	एसो.प्रोफेसर	असि. प्रोफेसर
1	मैनेजमेंट स्टेडिज	2	2	-
2	माइक्रो बायलॉजी	-	2	1
3	कम्प्यूटर एप्लीकेशन	-	1	1
4	संस्कृत	1	-	1
5	वैदिक	-	1	-

	कुल	**3**	**6**	**3**

विश्वविद्यालय में प्रोफेसर/एसो0 प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर के स्वीकृत पद, कार्यरत तथा रिक्त पदों की सूचना कार्यसूची के परिशिष्ठ–6 के अनुसार है ।

उक्त संबंध में कुछ तथ्य इस प्रकार हैः–

1. माइक्रो बायलॉजी विषय के एसो0 प्रोफेसर के कुल 02 पद स्वीकृत और दोनों ही रिक्त हैं । प्रमुख शासन सचिव ने इन दोनों पदों को भरने की और दोनों ही पदों को समाप्त करने की स्वीकृति अपने पत्र में अंकित की है ।
2. पूर्व में खाद्य एवं पोषण विभाग में स्वीकृत एवं रिक्त एसो0 प्रोफेसर का 01 पद प्रबन्ध बोर्ड के निर्णयानुसार एसो0 प्रोफेसर इन फिजिक्स के नाम पर परिवर्तित कर दिया गया था । उस पद का विज्ञापन भी जारी करके साक्षात्कार भी आयोजित किये गये, जिन्हें महामहिम कुलाधिपति महोदय ने आंशिक रूप से निरस्त किया है अर्थात एसो0 प्रोफेसर इन फिजिक्स के पद का साक्षात्कार होना है । खाद्य एवं पोषण के इस पद की स्वीकृति को गणित विषय के पद का अतिरिक्त स्वीकृत पद मानते हुए भरने की कार्यवाही की जाए ।
3. माइक्रो बायलॉजी में एसो0 प्रोफेसर का कोई भी पद रिक्त नहीं है । जबकि प्रमुख शासन सचिव के पत्र में ऐसे 01 पद को समाप्त किया गया है ।
4. राज्य सरकार ने प्रोफेसर संस्कृत के 01 पद को समाप्त करना सूचित किया है जबकि यह पद पूर्व में विज्ञापित किया जाकर इस पर साक्षात्कार आयोजित किये गये थे, जिन्हें महामहिम कुलाधिपति ने इस शर्त के साथ निरस्त किया है कि इस पद का साक्षात्कार पुनः होगा जिसमें उन्हीं अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाए जो निरस्त किये गये साक्षात्कार में आमंत्रित किये गये थे । अतः इस पद को संस्कृत प्रोफेसर का अतिरिक्त स्वीकृत पद मानते हुए भरने की कार्यवाही की जाए ।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर राज्य सरकार के पत्र पर विचार करना ।

निर्णय **अगली बैठक में विचार हेतु स्थगित किया गया ।**

मद सं. 43 विश्वविद्यालय खेल बोर्ड पर प्रबन्ध बोर्ड के दो सदस्यों का तीन वर्षीय अवधि के लिए मनोनयन करना । **खेल बोर्ड**

निर्णय **प्रबन्ध बोर्ड के सदस्यों डॉ. रघु शर्मा एवं श्री एम.एल. पीतलिया, को दो वर्ष अथवा प्रबंध बोर्ड की सदस्यता अवधि तक विश्वविद्यालय खेल बोर्ड का सदस्य मनोनीत किया गया ।**

मद सं. 44 विश्वविद्यालय के खेल बोर्ड के विधान में यह प्रावधान है कि "कुलपति, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के खेल बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होंगे" इस प्रावधान पर पुनर्विचार करना और खेल बोर्ड के अन्य सदस्यों में से किसी को खेल बोर्ड का अध्यक्ष बनाए जाने का प्रावधान करने पर विचार करना । **खेल बोर्ड**

निर्णय **उक्त प्रावधान को विलोपित करने का निर्णय किया गया । यह भी निर्णय किया गया कि खेल बोर्ड का अध्यक्ष प्रबन्ध बोर्ड द्वारा मनोनीत सदस्यों में से एक सदस्य होगा, जिसका मनोनयन प्रबंध बोर्ड द्वारा किया जावे । तद्नुसार डॉ0 रघुशर्मा को खेल बोर्ड का अध्यक्ष मनोनीत किया गया ।**

मद सं. 45 विश्वविद्यालय मे सहायक प्रोफेसरों के निम्नांकित पदों के सृजन हेतु विचार करनाः– **संस्थापन**

1	सहायक प्रोफेसर पत्रकारिता	02 पद
2	सहायक प्रोफेसर विधि	02 पद
3	सहायक प्रोफेसर शिक्षा	02 पद
4	सहायक प्रोफेसर हिन्दी	02 पद
5	सहायक प्रोफेसर अंग्रेजी	02 पद
6	सहायक प्रोफेसर मनोविज्ञान	02 पद
7	सहायक प्रोफेसर भूगोल	02 पद
8	सहायक प्रोफेसर भू–गर्भशास्त्र	02 पद
9	सहायक प्रोफेसर गांधी अध्ययन	01 पद
10	सहायक प्रोफेसर हैरिटेज संरक्षण	01 पद
11	सहायक प्रोफेसर आपदा प्रबंधन	01 पद
12	सहायक प्रोफेसर मानव अधिकार	01 पद
13	सहायक प्रोफेसर उर्दू/ अरेबिक/ पर्शियन	01 पद
14	सहायक प्रोफेसर विदेशी भाषा	01 पद
15	सहायक प्रोफेसर बायो टैक्नोलॉजी	02 पद
16	सहायक प्रोफेसर कम्प्यूटर एप्लीकेशन	01 पद

निर्णय **उक्त प्रस्तावित पदों के साथ जन सम्पर्क अधिकारी–01 पद एवं निदेशक, छात्र परामर्श प्रकोष्ठ–01 पद के सृजन करने की संस्तुति की तथा प्रस्ताव राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भेजे जाने का निर्णय किया गया ।**

मद सं. 46 वर्ष 2005 में वर्ष 1997–98 से 2004–05 तक की अवधि में रिक्त रहे अनुभाग अधिकारी/कार्यालय सहायक/लेखाकार एवं वरिष्ठ लिपिक के पदों पर 66 प्रतिशत (वरीयता कम योग्यतानुसार) विभागीय पदोन्नति समिति और 34 प्रतिशत पदों पर (योग्यता कम वरीयता अनुसार) विभागीय चयन समिति आयोजित करके वर्षवार पदोन्नति के स्थान पर वर्ष 2005 से पदोन्नति दिए जाने के कारण इस अवधि में रिक्त पदों की नियमानुसार वर्षवार विभागीय पदोन्नति समिति/विभागीय चयन समिति की बैठक आयोजित करने पर विचार करना । **संस्थापन**

निर्णय **अगली बैठक में विचार हेतु स्थगित किया गया ।**

मद सं. 47 विश्वविद्यालय के सामान्य प्रावधायी निधि के नियम 14 (2) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2007–08 के लिए ब्याज दर का निर्धारण करने हेतु गठित समिति की दिनांक 13.01.09 को सम्पन्न बैठक की संस्तुतियों पर विचार करना । **(परिशिष्ठ–XXXI)** **विवले**

निर्णय **कार्यसूची के परिशिष्ठ–XXXI की संस्तुतियों को स्वीकार किया तथा ब्याज दर का निर्धारण करने हेतु गठित समिति में प्रबन्ध बोर्ड के सदस्य श्री कमल बैरवा, तथा प्रो. पी.एस. वर्मा को मनोनीत किया ।**

मद सं. 48 विश्वविद्यालय के ऐसे अशैक्षणिक कर्मचारी, जो आयकर नहीं देते हैं उन्हें एवं उनके आश्रितों को परीक्षा शुल्क और अन्य देय शुल्कों तथा स्ववित्त–पोषी पाठ्यक्रमों के शुल्क के भुगतान से निम्नानुसार छूट दिए जाने पर विचार करना : **संस्थापन**

1. विश्वविद्यालय के वे कर्मचारी जिन्हें इस विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं में बैठने की अनुमति प्राप्त है उन्हें **परीक्षा के शुल्क** की राशि के भुगतान में छूट ।

2. अशैक्षणिक कर्मचारी के आश्रित (पत्नि, पुत्र और अविवाहित पुत्री) यदि इस विश्वविद्यालय के किसी परीक्षा में प्रविष्ट हो रहे हैं, तो उन्हें उस परीक्षा के लिए निर्धारित **परीक्षा शुल्क** के भुगतान की छूट । इस छूट के लिए आवेदन संस्थापन अनुभाग को करना होगा ।

3. अशैक्षणिक कर्मचारी एवं उनके आश्रित (पत्नि, पुत्र और अविवाहित पुत्री) को विश्वविद्यालय के विभाग में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने पर ट्यूशन फीस, कोर्स फीस (प्रोफेशनल फण्ड और स्ववित्त–पोषी फीस) की राशि के भुगतान से छूट संबंधित विभागाध्यक्ष/प्रभारी द्वारा देय होगी ।

4. शोधार्थी अशैक्षणिक कर्मचारी को वार्षिक शिक्षण शुल्क की राशि के भुगतान से छूट ।

निर्णय **उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया ।**

मद सं. 49 सेवाओं और संस्थाओं आदि में प्रायोजित योजनाओं और बाह्य अनुदानित प्रकल्पों में समेकित पैकेज के साथ संविदा पर नियुक्ति हेतु राजस्थान सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए परिपत्र क्रमांक एफ 1 (5) एफडी/नियम/2002 दिनांक 09.01.07 के साथ संलग्न अनुबंध के प्रारूप एवं उनसे संबंधित परिशिष्ठ–I,II तथा अनुलग्नक–I **(परिशिष्ठ–XXXII)** पर विचार करना । **संस्थापन**

निर्णय **अगली बैठक में विचार हेतु स्थगित किया गया ।**

मद सं. 50 विश्वविद्यालय के बजट, वित्त एवं लेखा नियम, 1997 के नियम संख्या 114 "Extent of Advance and Period of Re- payament" के बिन्दु संख्या D' Ceiling of the advance" में प्रस्तावित मकान/फ्लैट के निर्माण/खरीद (भूमि की कीमत सहित)की सीमा के वर्तमान प्रावधान को राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम, 2008 प्रवृत्त किए जाने के कारण परिवर्तित हुए वेतनमानों के परिणामस्वरूप निम्नानुसार संशोधित करने पर विचार करना : **विवले**

वर्तमान प्रावधान			संशोधित प्रावधान	
S.No.	**Category**	**Limit**	**Category**	**Limit**
i	For employees drawing pay upto Rs. 5000/- p.m.	5.00 Lac	For employees drawing pay upto Rs. 10000/- p.m.	7.00 Lac
ii	For employees drawing pay upto Rs. 8000/- p.m.	8.00 Lac	For employees drawing pay upto Rs. 25000/- p.m.	13.00 Lac
iii	For employees drawing pay above Rs. 8000/- p.m.	12.00 Lac	For employees drawing pay above Rs. 25000/- p.m.	19.00 Lac

निर्णय **अगली बैठक में विचार हेतु स्थगित किया गया ।**

मद सं 51 विश्वविद्यालय के खाद्य एवं पोषण विभाग में "एकवर्षीय एडवांस्ड पी.जी. डिप्लोमा इन फूड एण्ड हैल्थ सिक्यूरिटी' और रिमोट सैंसिंग एवं जियो–इन्फोरमैटिक्स विभाग में" दो वर्षीय पी.जी. डिप्लोमा इन रिमोट सेंसिंग एण्ड जियो इन्फोरमैटिक्स' विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की आर्थिक सहायता से चलाए जाने के संदर्भ में वित्तीय सहायता की शर्त यह भी लगाई गई है कि इस आर्थिक सहायता की स्वीकृति की अवधि (01.04.07 से 31.03.12) की समाप्ति के पश्चात् इन पाठ्यक्रमों के लिए नियुक्त किए गए स्टाफ एवं अन्य आवर्ती जिम्मेदारियों का वहन राज्य **संस्थापन**

सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा । तत्कालीन कुलपति ने इस आवर्ती वित्तीय भार को विश्वविद्यालय द्वारा वहन करने का पत्र अपने स्तर से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रेषित किया था । अतः इन दोनों पाठ्यक्रमों के लिए परियोजना में स्वीकृत किए गए स्टाफ की जिम्मेदारियों के वहन के संबंध में विचार कर निर्णय करना ।

निर्णय **अगली बैठक में विचार हेतु स्थगित किया गया ।**

मद सं 52 विश्वविद्यालय में स्थिर मानदेय/पारिश्रमिक पर नियुक्त किए गए कार्मिकों और सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्त किए गए कार्मिकों को आकस्मिक अवकाश दिए जाने के संबंध में प्रावधान प्रस्तावित करने हेतु माननीय कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति की दिनांक 02.07.2009 को हुई बैठक की संस्तुतियों **(परिशिष्ठ–XXXIII)** पर विचार करना । **संस्थापन**

निर्णय **अगली बैठक में विचार हेतु स्थगित किया गया ।**

मद सं 53 विश्वविद्यालय के निम्नांकित वेतन एवं भत्ते नियम संख्या 29 के प्रावधानान्तर्गत दिनांक 31 जुलाई, 2009 को सेवानिवृत्त होने वाले दो आचार्यो (प्रोफेसर आर.पी. जोशी, राजनीति विज्ञान विभाग एवं प्रोफेसर एस.के. माहना, वनस्पति शास्त्र विभाग) को संलग्न औचित्य **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–XXXIV & XXXV)** के आधार पर सेवानिवृत्ति की दिनांक के पश्चात् सेवा में रखे रखने (retain) पर विचार करना : **संस्थापन**

29. Compulsory retirement on attaining the age of superannuation :

Except as otherwise provided in the Rules, the date of compulsory retirement of University employees is the afternoon of the last day of the month in which he attains 60 years of age. He may be retained in service after the date of compulsory retirement with the sanction of the Board of Management on special grounds which must be recorded in writing but in no case he may be retained after the age of 62 years except in very special circumstances.

निर्णय **अगली बैठक में विचार हेतु स्थगित किया गया ।**

मद सं 54 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र क्रमांक एफ 3–1/94 (पीएस–7) दिनांक 19.10.2006 **(कार्यसूची परिशिष्ठ–XXXVI)** जिसके द्वारा विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष आदि को कॅरियर एडवांसमैण्ट स्कीम के अन्तर्गत पदोन्नति लाभ प्रदान करने की योजना सूचित की गई है तथा इसे राजस्थान विश्वविद्यालय की सिण्डीकेट ने निर्णय संख्या 5 दिनांक 27.02.2007 के द्वारा स्वीकार करके सहायक पुस्तकालयाध्यक्षों को इस योजना का लाभ प्रदान किया है । तदनुसार इस विश्वविद्यालय में भी इस योजना को लागू करने पर विचार करना । **संस्थापन**

निर्णय **अगली बैठक में विचार हेतु स्थगित किया गया ।**

मद सं 55 वर्ष 2009–10 में सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों एवं पूर्व से रिक्त निम्नांकित पदों को भरने की अनुमति हेतु स्वीकृति पर विचार करना । **संस्थापन**

क्र.सं.	विभाग का नाम	पद	विवरण
1	राजनीति विज्ञान	प्रोफेसर– 1 एसो0 प्रोफेसर–1	31.07.09 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं । रिक्त ।
2	अर्थशास्त्र	एसो0 प्रोफेसर–1	रिक्त
3	वनस्पति शास्त्र	प्रोफेसर– 1	31.07.09 को सेवानिवृत्त हो रहे है ।
4	प्योर एण्ड एप्लायड कैमिस्ट्री	प्रोफेसर– 1 एसो0 प्रोफेसर–1 सहा0 प्रोफेसर–1	पूर्व से रिक्त प्रो0 के.जी. ओझा की सेवानिवृत्ति होने पर रिक्त। डॉ0 राजू रतनानी के निधन से रिक्त

उक्त के अतिरिक्त अशैक्षणिक वर्ग के निम्नांकित अधिकारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की अनुमति पर विचार करना :

कुलसचिव–1
अति. कुलसचिव– 1
परीक्षा नियंत्रक–1
निदेशक, महाविद्यालय विकास परिषद –1
निदेशक, शारीरिक शिक्षा–1
निदेशक, शोध–1
पुस्तकालयाध्यक्ष–1
सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष–1
सहायक कुलसचिव–5(यदि वर्ष 2008–09 की बी.एफ.सी. के प्रस्तावानुसार दो पद एच.एल.ए. या एल.ए. के परिवर्तित किए जाते है, तो सहायक कुलसचिव के तीनों पदों पर नियुक्ति की अनुमति) ।

निर्णय **उक्त पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की और संस्तुति की कि पदो को भरने की अनुमति हेतु राज्य सरकार को लिखा जावे ।**

मद सं. 56 विश्वविद्यालय के सह आचार्य डॉ. शिवदयाल सिंह, जनसंख्या अध्ययन विभाग के आवेदन–पत्र जिसमें अपनी सेवाएं अर्थशास्त्र विभाग में देने हेतु निवेदन किया है, पर विचार करना । **संस्थापन**

निर्णय **उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया ।**

मद सं. 57 विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त शिक्षक, अधिकारी एवं कर्मचारी, जो पेंशन विनियमों के कतिपय प्रावधानों के कारण तथा राज्य सरकार एवं प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों में की गई सेवा की गणना किए जाने के प्रकरणों पर विचार करना । **संस्थापन**

निर्णय **बोर्ड के निम्नांकित सदस्यों की समिति इस प्रकार के अभ्यावेदनों पर विचार कर अपनी संस्तुतियॉं प्रबन्ध बोर्ड की आगामी बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत करेगीः–**

1. **प्रबन्ध बोर्ड पर कुलपाधिपति द्वारा नाम निर्देशित शिक्षाविद् : प्रो0 रमाकान्त**
2. **प्रबन्ध बोर्ड पर राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित शिक्षाविद् : प्रो. पी.एस. वर्मा**
3. **कुलपति द्वारा नाम निर्देशित आचार्य : प्रो. के.सी. शर्मा**
4. **कुलपति द्वारा नाम निर्देशित संकायाध्यक्ष : श्री एम.एल. पीतलिया**
5. **वित्त नियंत्रक, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर**
6. **उप कुलसचिव, संस्थापन : सदस्य सचिव**

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई ।

कुलपति **कुलसचिव**